

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

2

3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0-11/2017-18

आवेदिका- एस्थेर मालतो

वनाम

16 आना रैयत, मौजा-सनसरी

आदेश

28.2.18

प्रस्तुत पी0ए0 वाद सं0-11/17-18 अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 424/रा0, दिनांक 20.12.2017 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दिनांक 30.12.2017 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मौजा सनसरी के 16 आने रैयतों को विधिवत नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गयी।


नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा- सनसरी के 16 आने रैयतों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आवेदिका को सुना। उनहोने बताया कि मौजा सनसरी के पूर्व प्रधान स्व0 मसीह प्रसाद मालतो थे जो मेरे पिता थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रही हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा- सनसरी के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी पतना ने पत्रांक 424/रा0 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदिका पूर्व प्रधान स्व0 मसीह प्रसाद मालतो का पुत्री है। पूर्व प्रधान स्व0 मसीह प्रसाद मालतो के मरणोपरान्त उनका पुत्री एस्थेर मालतो उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में स्वयं कार्य कर रही हैं तथा इनके द्वारा मौजा का लगान जमा किया जाता है। अंचल अधिकारी, पतना द्वारा आवेदिका एस्थेर मालतो पिता स्व0 मसीह प्रसाद मालतो, सा0- सनसरी, थाना-रांगा जिला साहेबगंज, वर्तमान साकिन- रतनपुर, थाना- बरहरवा, जिला- साहेबगंज को मौजा- सनसरी के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, पतना की अनुशंसा एवं 16 आने रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदिका एस्थेर मालतो पिता स्व0 मसीह प्रसाद मालतो, सा0- सनसरी, थाना-रांगा जिला साहेबगंज, वर्तमान साकिन- रतनपुर, थाना- बरहरवा, जिला- साहेबगंज को संधाल परगना काश्त कारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा- सनसरी के रिक्त प्रधान के पद पर नियुक्ति किया जाता है। आवेदिका को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें तत्पश्चात् पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।


लेखापित एवं संशोधित

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
राजमहल

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
राजमहल

10.4.18

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
राजमहल

जांच 11/4/18  
06.06.18

पदा पाया।  
एस्थेर मालतो-1  
16/4/18